(67)

(32)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 990–दो/2005, विरूद्ध आदेश दिनांक 26–04–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जिला–जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 412/अ–6/2004–05

.....

1– सुमता बाई विधवा छोटेलाल लोधी
2– तुलसीराम आत्मज छोटेलाल लोधी
3– मुनीम सिंह आत्मज छोटेलाल लोधी
4– भागवती बाई बेवा सिब्बूलाल लोधी
5– महेश आत्मज सिब्बूलाल लोधी
6– पेड़ा बाई आत्मजा छोटेलाल लोधी
धर्मपत्नी हाकम सिंह, निवासी देवरी
तहसील गोटेगांव, जिला–नरसिंहपुर
7– फुल्लो बाई आत्मजा छोटेलाल लोधी
क्र0 1 से 5 तक एवं 7 सभी निवासी–ग्राम
टिकारी तहसील गोटेगांव, जिला–नरसिंहपुर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– गनेशी बाई बेवा नर्मदा प्रसाद
2– सोबरन सिंह लोधी
क्र0 1 व 2 दोनों निवासी सुखा भारतपुर
तह0 पाटन, जिला –जबलपुर
3– भीकम सिंह लोधी,
निवासी–मुंगली तहसील गोटेगांव,
जिला–नरसिंहपुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

# :: आ दे श ::

( आज दिनांक 10/4/15 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त जबलपुर संभाग, जिला–जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम टिकारी तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में विवादित भूमि खसरा नंबर 22/1, 26/1, 38/4 एवं 38/5 कुल रकबा 1.894 है0 भूमि दर्ज थी। इसी प्रकार ग्राम मंगुली, तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में खसरा नंबर 94/5 एवं 110/2 कुल रकबा 0.571 है0 भूमि छोटेलाल के नाम दर्ज थी । वर्ष 2000 में छोटेलाल का मृत्यु हो गयी । छोटेलाल की मृत्यु पश्चात उक्त भूमियों पर नामांतरण हेतु आवेदकगण ने संहिता की धारा 109 व 110 के अंतर्गत यह कहते हुये आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में दिया कि आवेदकगण के अलावा मृतक छोटेलाल की सम्पत्ति पर नाम दर्ज करवाने का अधिकार किसी अन्य को नहीं है, तथा उक्त भूमियों में आवेदकगण के नाम दर्ज होने चाहिये । संहिता की धारा 109 व 110 के जवाब में अनावेदिका क्र0 1 गनेशीबाई द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । आपत्तिकर्ता द्वारा कहा गया कि वह एवं आवेदिका क्र0 1 श्रीमती सुमताबाई दोनों ही छोटेलाल की बेवा है तथा छोटेलाल की सम्पत्ति पर दोनों का नाम दर्ज होना चाहिये । तहसील न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता की आपत्ति अस्वीकार की गई एवं आदेश दिनांक 08.07.2002 पारित किया, जिसमें अनावेदिका क्र0 1 गनेशीबाई को वैध पत्नी नहीं माना है । तहसील न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्र0 1 गनेशीबाई द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 44/अ–6/2001–02 पर दर्ज किया गया । हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 का हवाला देते हुये अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 12.07.2004 से तहसीलदार गोटेगांव द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण प्रत्यावर्तित के आदेश दिये । उक्त आदेश दिनांक 12.07.2004 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त जबलपुर के समक्ष पेश की गई, जिसे प्रकरण क्रमांक 412/अ–6/2004–05 में पंजीबद्ध किया गया । न्यायालय अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है एवं आदेश दिनांक 26.04.2005 को अपील निरस्त की गई तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाये एवं अधिनियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जावे। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया है कि इस नामांतरण में अनावेदक क्र0 2 व 3 जो अपने आपको छोटेलाल का पुत्र होना कहते है । उन्होंने कोई आपत्ति नहीं लगाई थी और न ही कोई आवेदन पत्र दिया था कि वे छोटेलाल के पुत्र है और उनका भी अधिकार उक्त भूमियों पर नहीं बनता है । आज भी अनावेदक क्र0 1 गनेशीबाई बेवा नर्मदा प्रसाद की विधिवा की हैसियत से निराश्रित पेंशन ले रही है । जिससे स्पष्ट है कि वह स्वयं यह मानती है कि वह छोटेलाल की पत्नी किसी भी रूप में कभी नही बनी थी और यदि अनावेदक क्र0 2 व 3 छोटेलाल की संतान हो भी तो वे छोटेलाल की सम्पत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं बन सकता । यदि छोटेलाल के साथ गनेशीबाई के अवैध संबंध होने से अनावेदक क्र0 2 व 3 का जन्म हुआ तो वे केवल अपनी नाबालिकी में छोटेलाल से परवरिश पाने के अधिकारी थे और बालिग हो जोने के बाद उनका कोई अधिकार छोटेलाल की मृत्यु उपरांत छोटेलाल की जमीनों पर नहीं बनता है । तहसीलदार गोटेगांव ने राजस्व प्रकरण 66/अ–6/2000–01 गनेश बाई के आवेदन पर दर्ज किया था और इस प्रकरण का निराकरण आदेश

दिनांक 08.07.2002 के जरिये किया । जिसमें उन्होंने यह माना कि गनेशीबाई, छोटेलाल की वैध पत्नी नहीं थी और उसका नाम छोटेलाल की भूमियों पर दर्ज नहीं किया जा सकता । तहसीलदार, गोटेगांव ने छोटेलाल की वैधानिक पत्नी श्रीमती सुमताबाई एवं अन्य आवेदकगण को छोटेलाल का वैध वारिसान मानकर उनके नाम दर्ज करने के आदेश दिये । तहसीलदार के समक्ष सोबरन सिंह एवं भीकमसिंह ने अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं दिया था । इसलिये उनके अधिकार बावत तहसीलदार, गोटेगांव द्वारा कोई आदेश पारित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता था । इसलिये तहसीलदार का आदेश विधि संगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार गोटेगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2002 के विरूद्ध गनेशीबाई एवं उसके पुत्रगण सोबरन सिंह एवं भीकम सिंह ने अपील अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव के न्यायालय में प्रस्तुत की परन्तु इस बात पर बिना विचार किये और मौखिक साक्ष्य तथा प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार का आदेश दिनांक 08.07.2002 निरस्त कर दिया और प्रकरण आदेश दिनांक 12.07.2004 के द्वारा रिमाण्ड कर दिया । जिसकी विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदकगण ने अपर आयुक्त जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया । इस द्वितीय अपील में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेखों को बिना बुलाये ही अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त कर दी । श्रीमती गनेशीबाई नर्मदा प्रसाद की विधवा की हैसियत से निराश्रित पेंशन ले रही है इस सम्बन्ध का दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत है और वोटर लिस्टों की प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत है जिसमें गनेशीबाई को नर्मदा प्रसाद की विधवा दर्शया गया है । जिससे स्पष्ट है कि गनेशीबाई का विवाह किसी भी रूप में छोटेलाल के साथ नहीं हुआ था और इसलिये उसे छोटेलाल की सम्पत्ति में कोई हक या हिस्सा पाने का अधिकार नहीं है और सोबरन सिंह और भीकमसिंह भी छोटेलाल के जायज पुत्र नहीं है । इसलिये उन्हें भी छोटेलाल की सम्पत्ति में हक या हिस्सा प्राप्त नहीं होता है उक्त दस्तावेजों पर बिना गौर किये अनुविभागीय

अधिकारी ने तहसीलदार का निर्णय अपास्त करने में त्रुटि की है और अपर आयुक्त जबलपुर ने बिना अभिलेख बुलाये दस्तावेजों पर गौर किये द्वितीय अपील खारिज करने में त्रुटि की है । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर का आदेश दिनांक 26.04.2005 एवं अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव का आदेश दिनांक 12.07.2004 निरस्त किया जावे एवं तहसीलदार गोटेगांव का आदेश दिनांक 08.07.2002 यथावत रखा जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है विचारण न्यायालय को यह भी देखना चाहिए था कि संहिता की धारा 109, 110 में नामांतरण की अधिकारिता का प्रयोग मृतक के निकटतम वारसानों के हित व स्वत्व के आधार पर निर्णीत किया जाता है और वर्तमान में प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदिका दोनों ही हितधारी पक्षकार होकर नामांतरण करवाने की अधिकारणी है । तहसीलदार गोटेगांव को यह देखना चाहिए था कि आवेदन पत्र में वर्णित कथनों का दस्तावेजो एवं मौखिक साक्षियों द्वारा कितना समर्थन किया गया है । तत्पश्चात न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही परिशीलन किया जाना चाहिए अपने विवेक से बगैर कोई ठोस प्रमाण के गलत ढंग से निष्कर्ष निकालने का अधिकार विचारण न्यायालय को नहीं था । तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गोटेगांव नें अनावेदिका को अवैध पत्नी मानकर भारी भूल की है । उससे उत्पन्न संताने भी अधर्म संताने है इस विषय पर दीवानी न्यायालय को सुनवाई का अधिकार होने से ही विचारण न्यायालय द्वारा अधिकारिता के बाहर आदेश पारित कर क्षेत्र अधिकार का दुरूपयोग किया । अंत में अनावेदकगण के अभिषाक द्वारा अनुविभागीय अपर आयुक्त जबलपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी गोटेगांव द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण में मुख्य विवाद का बिन्दु यह रहा है कि गणेशीबाई छोटेलाल की पत्नी थी या नहीं तथा उसके पुत्र छोटेलाल के वैध पुत्र होकर सम्पत्ति में हक रखते थे या नहीं । इस विषय पर जिन साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार ने निष्कर्ष निकाला है, उनको अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में सही नहीं माना है तथा पुनः साक्ष्यों की विवेचना कर आदेश पारित करने के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है । द्वितीय अपील में अपर आयुक्त ने भी अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्षों की पुष्टि की है । इस निगरानी में आवेदक ने इसे कोई नये वैधानिक बिन्दु नहीं बताए है जिनमें दोनों अपीलीय न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों पर हस्तक्षेप किया जा सकता है । अपना पक्ष पूरी तरह रखने के लिए अभी उसे तहसीलदार के समक्ष अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर